न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 114/2018

अनवान :

1. अरविन्द पुत्र श्री नरसीराम जाति महाजन निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– अप्रार्थीगण

आवेदन पत्र बाबत रिकार्ड में दर्ज रहन को दुरूस्त करवाने अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित : वकील श्री पवन सिहाग – **प्रार्थी**

पेरोकार राज – **अप्रार्थी**

दिनांक : 11-10-2018

आदेश

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि रोही मौजा अजीतपुरा के खाता संख्या 513/616 की कुल 9.8770 हैक्टर में प्रार्थी की 0.470 हैक्टर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। नकल जमाबंदी संलग्न है जिससे यह साफ रोशन है।

प्रार्थी ने उक्त खातेदारी दिनांक 18.12.2009 को जरिए बैयनामा विक्रेता लिलाधर पुत्र दाताराम से खरीद की थी उक्त बैयनामा में प्रार्थी के पिता का नाम अरविन्द पुत्र नरसीराम जाति महाजन निवासी अजीतपुरा दर्ज है। बैयनामा के बाद राजस्व रिकार्ड में उक्त बैयनामा का नामन्तरण दर्ज कर प्रार्थी का अरविन्द पुत्र नरसीराम जाति महाजन दर्ज कर दिया व इसी नाम से सम्वत 2070–73 की जमाबंदी तैयार हो गई परन्तु सम्वत 2074–77 की नई जमाबंदी तैयार करते समय प्रार्थी के पिता का नाम नरसीराम के स्थान पर घासीराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया।

उक्त अंकन एक लिपिकीय भूल से दर्ज हुआ है जिससे प्रार्थी के हितो पर विपरीत असर पड़ता है।

लैण्ड होल्डर अप्रार्थी का यह कानूनी दायित्व है कि वह राजस्व रिकार्ड को अपटुडेट रखे और लैण्ड रिकार्ड की जमाबन्दीयात बनाने की निरन्तर प्रक्रिया है चुंकि राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उसे दुरूस्त कर सही रिकार्ड मैनटेन करवाना प्रार्थी का कानूनी हक एवं अधिकार है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी से बमुकाम भादरा में प्रार्थी उपर वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम दुरूस्त करने का निवेदन किया तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

उपखण्डअधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी ने बाद तामील अपना जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी के आवेदन पत्र को मुताबिक राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती की जाती है तो अप्रार्थी को काई आपति नही।

साक्ष्यवादी में प्रार्थी अरविन्द पुत्र नरसीराम जाति महाजन निवासी अजीतपुरा के साक्ष्य करवाये गयी। साक्ष्य की ताहिद में जमाबंदी रोही अजीतपुरा सम्वत 2070–73 खाता संख्या 616, प्रदर्श 1, रोही अजीतपुरा के नामान्तरण संख्या 2940 प्रदर्श 2, जिसकी चित्रप्रति प्रदर्श 2ए, असल बैयनामा प्रदर्श 3, जिसकी चित्रप्रति 3ए, आधार कार्ड अरविन्द पुत्र नरसीराम जाति महाजन निवासी अजीतपुरा प्रदर्श 4, जिसकी चित्रप्रति प्रदर्श 4ए, प्रस्तुत की गई

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई।

पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी ने रोही मौजा अजीतपुरा के खाता संख्या 513/616 की कुल 9.8770 हैक्टर में प्रार्थी की 0.470 हैक्टर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रार्थी के पिता का नाम घासीराम के स्थान पर सही एव वास्तविक नाम नरसीराम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 1 जमाबंदी रोही अजीतपुरा सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 616/623 में प्रार्थी का नाम अरविन्द पुत्र नरसीराम कौम महाजन सा. अजीतपुरा दर्ज है एवं प्रदर्श 2 नामान्तरण रजिस्टर ग्राम अजीतपुरा में नामान्तरण संख्या 2940 कॉलम संख्या 07 में अरविन्द पुत्र नरसीराम दर्ज है तथा कॉलम संख्या 9 में अरविन्द पुत्र घासीराम दर्ज किया गया है। अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र कोई खण्डन नही किया गया तथा प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 1 से 4 तक दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार करने योग्य है एवं प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में अरविन्द पुत्र नरसीराम जाति महाजन निवासी अजीतपुरा दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा रोही मौजा अजीतपुरा के खाता संख्या 513/616 की कुल 9. 8770 हैक्टर में प्रार्थी की 0.470 हैक्टर खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम अरविन्द पुत्र घासीराम के स्थान पर अरविन्द पुत्र नरसीराम जाति महाजन निवासी अजीतपुरा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

आदेश आज दिनांक 11.10.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ